बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या–व.सं./57/2019-412

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 26/4/2021

विषय – गया जिलान्तर्गत 400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा–गया ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत 400 KV D/C नार्थ कर्णपुरा–गया ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन की अनुशंसा के साथ सहायक प्रबंधक, मे० नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लि०, राँची का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तावित परियोजना का निर्माण झारखंड राज्य के चतरा जिलान्तर्गत टनडवा अंचल ग्रिड से बिहार राज्य के गया जिलान्तर्गत बोधगया के बारा पावर ग्रिड में जोड़ा जाना है जिसमें 5.4370 हे० वन भूमि का अपयोजन एवं 27 वृक्षों के Tranlocate करने की योजना हैं परियोजना निर्माण में 5.4370 हे० वन भूमि के अपयोजन 27 वृक्षों के पुर्नस्थापन की अनुशंसा वन वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, गया द्वारा किया गया है।

3. इस प्रकार परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन सन्नहित नहीं है। ट्रांसमिशन लाईन के कोरिडोर निर्माण के क्रम में कम–से–कम वन भूमि का अपयोजन हो, इसका ध्यान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रखा गया है एवं इसे गौतम बुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से (4 कि०मी० दूर) अलग रखा गया है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन का भू–भाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 400 दिनांक 31.12.1996, C/F 17010/55-1550 R दिनांक 25.04.1955 एवं C/PF 10148/52-23 R दिनांक 02.01.1953 द्वारा अधिसूचित है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.45 अंकित किया गया है। ट्रांसमिशन लाईन के रेखांकण को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया Geo Referring Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गयी है। तदआलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं वन संरक्षक, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

8. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 5.4370 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 10.8740 हे० अर्थात् 11.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को गया प्रक्षेत्र अन्तर्गत बेला PF को चिन्हित किया गया है। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.4370 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 43,65,911/– (रूपये तैतालीस लाख पैसठ हजार नौ सौ ग्यारह) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.4370 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलन्तर्गत 11.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि बेला सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 24,71,457/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26.4.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।